सत्यमेव जयते

खंड ६ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १४ सितम्बर १९५९

Vol. VI No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 14th September, 1959

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ नये पैसे।]
[*Price—37 Naye Paise.*]

डा० श्रीकृष्ण सिह—अध्यक्ष महोदय, मैंने डिप्टी कमिश्नर से जानने की कोशिश की लेकिन उनको भी इसकी कोई खबर नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं होने पायगी जिससे आदिवासी भाइयों के धर्म पर कुठाराघात हो, फिर भी मैं इसकी और जांच करूंगा।

श्री लषण लाल कपूर—अध्यक्ष महोदय, कल पटने में मारपीट हुई है यह एक गंभीर विषय है।

अध्यक्ष—आपने नाम नहीं बताया है कि किसको मार लगी और किसने मारा, निश्चित बात होनी चाहिये थी। स्पेसिफिक, डेफनिट और अर्जेन्ट पब्लिक इम्पौर्टेंस की बात होनी चाहिए।

श्री हरिचरण सोय—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो काम-रोको प्रस्ताव दिया है वह बिल्कुल सही है।

अध्यक्ष—आपको कचहरी जाना चाहिये था क्योंकि यह इंडियन पेनल कोड के अनुसार एक औफेन्स है, फिर भी चीफ मिनिस्टर ने आपको बता दिया है कि वे इसकी जांच करेंगे।

श्री हरिचरण सोय—हमलोगों ने थाने में खबर दी फिर भी पेड़ काटा गया है।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS :

OFFICIAL BILLS :

दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल, १९५८ (१९५८ की वि०सं० ४२)।

THE DARBHANGA SANSKRIT UNIVERSITY BILL, 1958 [L.A. BILL NO. 42 OF 1958].

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ७ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ८।

Shri YOGENDRA PRASAD: Sir, I beg to move:

"That sub-clause (4) of clause 8 of the Bill be *deleted*."

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के लाने के पहले मेरे मन में जो भावना काम कर रही थी वह यह थी कि दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था है और विश्व में इसका एक विशेष स्थान है। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हों उनकी योग्यता भी विशिष्ट होनी चाहिये और विश्व में उनकी योग्यता का स्थान होना चाहिये। बिल में यह है कि चान्सलर महोदय अपने सारे अधिकारों को या कुछ अधिकारों को मौके पर या कभी भी प्रो-चान्सलर को दे देंगे। हमको इस बात से इतराज है। गवर्नर ऑफ बिहार को चान्सलर बनाने की परम्परा है। यह हमलोगों का सौभाग्य है कि हमारे गवर्नर महोदय इसके चान्सलर होंगे जो बहुत ही योग्य और कुशल साहित्यिक व्यक्ति हैं और किसी भी संस्था का पद-भार उनको मिलने से संस्था की महत्ता बढ़ेगी। लेकिन प्रो-चान्सलर, जिनको चान्सलर द्वारा अधिकार दिये जाने की बात इस बिल में है की योग्यता के बारे में कोई भी धारा या उप-धारा नहीं है।

अध्यक्ष—आप किसके बारे में कह रहे हैं?

*श्री योगेन्द्र प्रसाद—जिस व्यक्ति को चान्सलर अधिकार देंगे उसकी क्या योग्यता रहेगी और कौन प्रो-चान्सलर के पद पर रह सकेंगे इसकी परिभाषा इस बिल में नहीं है।

अध्यक्ष—"......Pro-chancellor shall be appointed by the Chancellor" यह तो इसमें दिया ही हुआ है। योग्यता के बारे में तो कोई बात नहीं है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—इस महत्वपूर्ण बिल में इस तरह की बात न हो कि प्रो-चान्सलर कैसे आदमी हो सकते हैं तो यह बात जरा खटकती है।

अध्यक्ष—यहां चान्सलर पावर डेलिगेट करेगा, अप्वायन्ट करने की बात नहीं है। यहां सवाल है कि प्रो-चान्सलर को पावर डेलिगेट किया जायेगा या नहीं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—डेलिगेट करने की तो बात है लेकिन हमने देखा है कि प्रो-चान्सलर के पद पर महाराजाधिराज दरभंगा को रखा गया है और उनको आजीवन सदस्य बनाया गया है इसलिये यह बहुत ही खटकने की बात होती है। विश्वविद्यालय के नामकरण में उनका उचित सम्मान दिया गया और दूसरी बात यह कि प्रो-चान्सलर के पद पर वे रहेंगे और तीसरी बात यह है कि उनको आजीवन सदस्य बनाकर उनका सम्मान किया जाय। उसके बाद भी उनको अधिकार भी दे दें तो यह बहुत ही अन्याय-पूर्ण मालूम पड़ता है जब कि प्रो-चान्सलर की कोई खास योग्यता नहीं रखी गई है। विश्वविद्यालय के प्रबंध के संबंध में, जब चान्सलर नहीं रहेंगे उस स्थिति में प्रो-चान्सलर बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे, सेनेट के प्रेसिडेंट रहेंगे, सेनेट की मीटिंग होगी तो वे ही प्रिजाइड करेंगे और दीक्षान्त समारोह जब होगा तो उसके भी संचालन का कार्य

प्रो-चान्सलर ही करेंगे। इन अधिकारों को आप देंगे तो इसका दुरुपयोग होगा। हमने देखा है कि कभी-कभी राजा महाराजा जो भी रहें उनमें दरबारी मनोवृत्ति रहती है, चाटुकारिता की प्रवृत्ति रहती है.....।

अध्यक्ष—यहां तो प्रो-चान्सलर को पावर डेलिगेट करने की बात है, योग्यता या पर्सनैलिटी का सवाल तो नहीं है। सब-क्लॉज (४) में दिया हुआ है कि जो प्रो-चान्सलर होंगे उनको पावर डेलिगेट किया जायगा और आपकी राय है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। आपका ऐसा विचार है कि प्रो-चान्सलर को बहुत काम है इसलिये इस तरह के अधिकार नहीं दिये जायं। लेकिन आप फिर व्यक्तिगत बात क्यों करते हैं कि दरबारी मेन्टैलिटी के होते हैं ऐसा कहना गलत है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—हमने तो जेनरल तरीके से कहा, यदि इसका दूसरा अर्थ लगाया जाता है तो मैं नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष—दरबारी और चाटुकारिता की बात जो आपने कही उसे विथड्रा करना चाहिये।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—मैं किसी विशिष्ट पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। प्रो-चान्सलर का पद इस बिल में है.......।

अध्यक्ष—आपने कह दिया कि प्रो-चान्सलर को नहीं दिया जाय। अभी महाराजाधिराज दरभंगा हैं लेकिन पीछे कोई दूसरे हो सकते हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—प्रवर समिति में जो नया संशोधन हुआ है उसमें प्रो-चान्सलर को विशिष्ट परिस्थिति में एक उपबन्ध रखा गया है........।

अध्यक्ष—आप प्रो-चान्सलर के विषय में कहें, प्रो-चान्सलर को चान्सलर पावर डेलिगेट करेगा।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—इस क्लॉज में प्रो-चान्सलर की योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष—योग्यता के लिये यह क्लॉज नहीं है। आप बैठ जायं। आपको आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप काफी बोल चुके हैं।

*कुमार गंगानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने अब इस संशोधन को मूल बिल में लाया तो बहुत सोच विचार करके.......।

अध्यक्ष—यह कोई दलील नहीं है। प्रवर समिति के विचारों को भी यहां काटा जा सकता है, हाउस तो प्रवर समिति से भी ऊपर है।

कुमार गंगानन्द सिंह—मैं समझता हूं कि इसका रहना बहुत आवश्यक है। इसका एक कारण तो यह भी है संस्कृत विश्वविद्यालय का जो केन्द्र स्थान रहेगा वह दरभंगा में रहेगा और हमारे चान्सलर का केन्द्र स्थान पटने में रहेगा। बहुत सी-ऐसी बातें हो सकती हैं जो चान्सलर यह सुविधाजनक समझें कि.........।

अध्यक्ष—प्रो-चान्सलर का सीट दरभंगा में रहेगा यह कहां लिखा हुआ है?

कुमार गंगानन्द सिंह—जब विश्वविद्यालय बन रहा है और उसका स्थान दरभंगा रहेगा तो प्रो-चान्सलर का दरभंगा में रहना बहुत जरूरी होगा और यह प्रारंभ में ही लिखा हुआ है कि यह दरभंगा में रहेगा और यह कोई नई बात नहीं है। अनामलाई युनिवर्सिटी ऐक्ट में भी लिखा हुआ है कि

"The Chancellor may delegate all or any of his functions to the Pro-Chancellor."

इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—माननीय शिक्षा मंत्री ने कोई बात नहीं कही है जिसका जवाब दिया जाय।

अध्यक्ष—आपने जितनी बातें कही हैं उनका जवाब उन्होंने दिया है?

श्री योगेन्द्र प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी बातों के समर्थन में कोई बात नहीं कही है और मेरा भी जवाब नहीं दिया है। अनामलाई युनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं लेकिन शुरू ही में दरभंगा महाराज को प्रो-चान्सलर बनाना इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और खासकर उपबन्ध में इसका समावेश किया गया है।

अध्यक्ष—उन्हीं के लिए नहीं है। प्रो-चान्सलर कोई भी हो सकता है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि प्रो-चान्सलर दरभंगा महाराज ही होंगे।

अध्यक्ष—दूसरे भी हो सकते हैं। आपको और बोलना है?

श्री योगेन्द्र प्रसाद—जी हां।

अध्यक्ष—बोलिये, लेकिन नयी बात आप नहीं कह सकते हैं। जवाब दीजिए।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—भीतर की धारणा बनी हुई है उसको मिटा नहीं सकते हैं। जीवनभर वे प्रो-चान्सलर बने रहेंगे। प्रो-चान्सलर में ऐसा आकर्षण है कि वाइस-चान्सलर भी अपने पावर को डेलिगेट कर देंगे। हमारे शिक्षा मंत्री ने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए यह बिल लाया है।

SPEAKER (4) If for any reason the office of the Pro-Chancellor is vacant the functions of the said office shall be carried on by the Chancellor or by any person as authorised by him to do so.

श्री योगेन्द्र प्रसाद—वह बात अलग है। जहां प्रो-चान्सलर नहीं हैं वहां वाइस-

---

चान्सलर काम करते हैं लेकिन यहां चान्सलर, वाइस-चान्सलर हैं फिर भी प्रो-चान्सलर हैं। स्वर्गीय श्री रविन्द्र नाथ ठाकुर ने विश्वभारती में इसी तरह का उपबन्ध रखा था जिसको आगे चलकर उन्होंने बदल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत उपबन्ध है और सरकार को चाहिए कि इस पर विचार करे।

SPEAKER : The question is "That sub-clause (4) of clause 8 of the Bill be *deleted.*" The Motion was negatived.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ८ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ९।

---

*Shri **RAM JANAM MAHTO** : Sir, I beg to move :

That *for* sub-clause (I) of clause 9 of the Bill, the following sub-clause be *substituted*, namely :—

"(I) The Pro-Chancellor shall be a man of erudition and shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the State Government and shall hold office for such term as the Chancellor may in each case determine."

अध्यक्ष महोदय, इसमें टर्म का कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। दूसरा वाइस-चान्सलर के लिए क्वालिफिकेशन है लेकिन प्रो-चान्सलर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तीसरी गलती भी मालूम होती है, आप क्लॉज ३ को देखें। उसमें प्रो-चान्सलर का नाम नहीं है।

"(I) The first Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the University, the first members of the Senate, Syndicate and the Academic Council etc."

प्रो-चान्सलर को इतना पावर दिया जा रहा है मानो सब कुछ पावर दिया जा रहा है लेकिन सेक्शन ३ में इनका नाम नहीं है। इसलिए सरकार को हमारे संशोधन को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ने फैसला कर लिया है कि दरभंगा महाराज ही इसके योग्य हैं तो उनको ही बहाल करेगी। इसलिए सरकार हमारे संशोधन को मान लें।

कुमार गंगानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल

निरर्थक है। पहले प्रो-चान्सलर होंगे महाराजाधिराज दरभंगा। उनकी योग्यता के बारे में, उनके कर्त्तव्य संचालन के बारे में सबको मालूम है। उनकी सेवायें वर्णनातीत

हैं। उनके बाद जब राज्य सरकार प्रो-चान्सलर किसी को बहाल करेगी तो उस पर विचार किया जायगा। ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो सड़क से खींच कर प्रो-चान्सलर बहाल कर लिया जाय। इसके लिए जो व्यक्ति योग्य होगा उसको सरकार चुनेगी। यह सब बात ऐक्ट में नहीं लिखी जाती है।

अध्यक्ष—उनका कहना है कि चान्सलर के लिए जब लिखा गया है तो प्रो-चान्सलर के लिए रहना चाहिए।

कुमार गंगानन्द सिंह—पहले प्रो-चान्सलर की जो सेवायें हैं वह सारी जनता को मालूम है। इसलिए क्वालिफिकेशन लिखना जरूरी नहीं है। उनकी जो सेवायें हैं वही उनका क्वालिफिकेशन है।

श्री रामजनम महतो—महाराजा से तो अपना ही काम नहीं चलता है इसीलिए उनके काम को चलाने के लिए हाली-मोहाली रहते हैं। मुझे शक है कि कहीं यहां भी प्रो-चान्सलर का काम करने के लिए उनके हाली मोहाली न हो जायं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष—श्री रामजनम महतो अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं। सभा की क्या राय है?

श्री कपिलदेव सिंह—इजाजत नहीं दी जाती है।

SPEAKER : The question is :

That *for* sub-clause (I) of clause 9 of the Bill, the following sub-clause be *substituted,* namely :—

"(I) The Pro-Chancellor shall be a man of erudition and shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the State Government and shall hold office for such term as the Chancellor may in each case determine."

The motion was negatived.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ९ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १० और ११ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० और ११ विधेयक के अंग बनें।

अध्यक्ष—खंड १२।

Kumar GANGA NAND SINGH: Sir, I beg to move:

That in clause 12 after the word " Chancellor " the word " Pro-Chancellor " be *inserted.*

जब यह छप रहा था उस वक्त यह छूट गया था इसलिये इसको ठीक कर देना जरूरी है।

Shri RAM CHARITRA SINGH: But why? Please give some reason for it.

Kumar GANGA NAND SINGH: To maintain consistency.

SPEAKER: The question is:

That in clause 12 after the word " Chancellor " the word " Pro-Chancellor " be *inserted.*

The motion was adopted.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १२ सभा द्वारा यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १२ यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १३ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड १४।

---

* **Shri KAPILDEO SINGH**: Sir, I beg to move:

That in clause 14 of the Bill in paragraph (I) under class III, *for* the words " nominated by the State Government " occurring in line 3, the words, " elected by the members " be *substituted.*

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ और १४ में कैसे युनिवर्सिटी का प्रबंध होगा और कौन-कौन कमिटियां युनिवर्सिटी के प्रबंध का संचालन करेंगी उसका उल्लेख है जो ओरीजिनल बिल में भी है। उसी के क्लॉज ३ में दिया हुआ है:

" One representative (other than the Principal) of at least five years' teaching experience to be nominated by the State Government from among the members of the teaching staff of every college or institution maintained by or affiliated to the University."

अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी नॉमिनेशन का अधिकार अपने जिम्मे लेने की बात सरकार करती है वहां कम-से-कम हमारे जैसे सदस्यों को ऐसा लगता है कि इसमें सरकार कुछ-न-कुछ गड़बड़ी करने की मंशा रखती है। खासकर शिक्षा विभाग में

ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के मंत्रीजी जो भी कमिटी बनावें उसमें जिसको चाहें नॉमिनेट करें यही मतलब रहता है। जिस तरह का समाज हम अपने देश में बनाना चाहते हैं उसमें शिक्षण संस्थाओं की क्या व्यवस्था हो उसके लिए हम जानते हैं कि हमको जनतांत्रिक संस्था कायम करनी है। इस संबंध में 'गांधी मार्ग' नामक मैगेजीन में श्री आर०आर० दिवाकर जी ने "जनतंत्र और अहिंसा" शीर्षक लेख में जो लिखा है उससे मैं ये पंक्तियां आपकी आज्ञा से उद्धृत करूं तो सदन का समय व्यर्थ नहीं लेना होगा। उन्होंने लिखा है:

"अब जनतंत्र केवल राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह तो एक पद्धति है, जीवन-प्रणाली है जो व्यक्तिगत आजादी और खानगी उपक्रम को उच्चतम महत्व प्रदान करता है। यह मानवीय भाव के वर्द्धित होने की अन्तर्निष्ठ क्षमता में विश्वास करती है, और मानवीय भाव के स्वतंत्र वातावरण में बढ़ने की पूरी गुंजाइश में विश्वास करती है। यह उतनी ही बहुव्यापक है जितना कि स्वयं जिन्दगी है और यह विश्वास करती है कि सभी सामाजिक क्रियाशीलताओं का संगठन जनतंत्र के आधार पर, स्वेच्छापूर्ण सहयोग पर एवं सामूहिक विचार पर आधारभूत है।"

इस तरह से अध्यक्ष महोदय जो जनतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में हम स्थापित करना चाहते हैं और जहां कहीं भी शिक्षण संस्थाओं के स्थापन के साथ हम मनोनयन करेंगे उसमें यह खतरा बराबर है कि सरकार इसका दुरुपयोग करेगी और करती भी है। इस संबंध में हमारे प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री स्वर्गीय डा० अमर नाथ झा ने एक सिम्पोजियम में बोलते हुए, जो फ्यूचर ऑफ एडुकेशन इन इंडिया पर था, कहा है:

"Do we not notice that the educator is being denied the right to experiment, to reform, to reconstruct? Have we not seen in recent months a move to impose a scheme from above? This is contrary to the basic principles of democracy. Of course, there must be a common broad-based policy, but within it there should be considerable discretion left to the teacher."

तो अध्यक्ष महोदय, शिक्षा-शास्त्र के इतने बड़े पंडित डा० अमरनाथ झा ने इसमें बताया है कि कम-से-कम शिक्षक के डिस्क्रीशन पर भी कुछ छोड़ना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम जिस तरह के समाज की व्यवस्था बनाना चाहते हैं उस तरह का समाज केवल बात करने से नहीं बन सकता। हमको उसके लिए उसके मुताबिक काम करना होगा।

दूसरी बात जो डा० अमर नाथ झा ने बतायी है वह यह है कि किस तरह शिक्षक अपनी इच्छा के मुताबिक काम करना चाहे तो करे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृति सरकार की होती जा रही है कि शिक्षण संस्थाओं में जहां कहीं भी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है वहां भी सरकार अपनी तरफ से मनोनयन करेगी। इसका मतलब यह होगा कि शिक्षा मंत्री महोदय जिसका मनोनयन करना चाहेंगे करेंगे।

अध्यक्ष—आपके अमेंडमेंट देने का यह मतलब है कि आप इस क्लॉज में से "नॉमिनेटेड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट" को हटा कर उसकी जगह पर "एलेक्टेड बाई दि मेम्बर्स" देना चाहते हैं तो इसके लिये इस अमेंडमेंट की भाषा को बदलना पड़ेगा और इसको आप इस तरह से सुधार करके फिर से पेश कीजिये:

"That in clause 14 of the Bill, in paragraph (1), under class III, *for* the words "nominated by the State Government from among the members" occurring in line 3, the words "elected by the members" be *substituted.*"

Shri KAPILDEO SINGH: Sir, I beg to move:

That in clause 14 of the Bill, in paragraph (1), under class III, *for* the words "nominated by the State Government from among the members" occurring in line 3, the words "elected by the members" be *substituted.*

(अंतराल)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार जब कभी भी मनोनयन करती है तो वह उन्हीं लोगों को लेती है जो सरकार की जी-हुजूरी करते हैं और इस तरह से जो काम ठीक तरह से होना चाहिये वह ठीक तरह से नहीं होता है।

श्री शकूर अहमद—आप मनोनयन की नीति को मानते हैं या नहीं और आपके यहां मनोनयन होता है या नहीं?

श्री कपिलदेव सिंह—किस तरह से मनोनयन होता है उसका एक उदाहरण देकर ही हम आपको बतला देते हैं कि यह कैसी चीज है। हमारे यहां बरहिया में दो हाई स्कूल्स हैं, एक बरहिया हाई स्कूल है और दूसरा रामावतार सिंह हाई स्कूल है और डी०पी०आई० को मैनेजिंग कमिटी के कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करने का पावर मिला है।

कुमार गंगानन्द सिंह—इस बिल की बहस के दौरान में बरहिया हाई स्कूल के नॉमिनेशन का सवाल कैसे आ सकता है और ऐसा करना कहां तक जायज है?

श्री कपिलदेव सिंह—मैं इसे उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि सरकार को जो पावर नॉमिनेशन का मिलता है वह कैसे व्यवहार किया जाता है। डी०पी०आई० को नॉमिनेट करने का पावर था लेकिन माननीय मिनिस्टर ने डेरे पर फाईल मंगवा कर अपनी कलम से अपने मन के मुताबिक नाम में बदली कर दी है। अब आपके माध्यम से नॉमिनेशन का ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हैं तो आपही बतलाइये कि हम क्या कहें। सरकार को जब कुछ कहना होता है तब तो वह तरह-तरह के उदाहरण देती है।

कुमार गंगानन्द सिंह—इसका नॉमिनेशन तो डी०पी०आई० करता है।

श्री कपिलदेव सिंह—लेकिन उसके बावजूद भी मिनिस्टर ने फाइल कौल करके अपनी कलम से उसे बदल दिया। अगर गलत बात हो तो फाईल मंगवा कर वे यहां पर पढ़कर सुना सकते हैं।

अध्यक्ष—जब कानून में डी०पी०आई० को नॉमिनेशन का पावर है तब उसे यहां पर नहीं कहा जा सकता है। जहां पर सरकार को नॉमिनेशन का पावर है उस उदाहरण को आप कह सकते हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—डी०पी०आई० को पावर के रहते हुए भी जब माननीय मिनिस्टर फाईल मंगवा कर ऐसा करते हैं तब उसे किसका नॉमिनेशन कहा जायगा। डी०पी० आई० ही करता है तो वह स्टेट गवर्नमेंट से बाहर है या उसके अन्दर है, इसे ही पहले बतला दिया जाय।

अध्यक्ष—जब डी०पी०आई० को पावर है तो वह मिनिस्टर का नॉमिनेशन कैसे कहा जा सकता है?

श्री कपिलदेव सिंह—स्टेट गवर्नमेंट से डी०पी०आई० अलग तो नहीं है।

अध्यक्ष—अगर कानून में लिखा हुआ है कि डी०पी०आई० नॉमिनेशन करेगा तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं और यदि लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेशन करेगी तो उसकी भी शिकायत कर सकते हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—हुजूर सुना जाय, अगर डी०पी०आई० एक काम को ठीक कर चुके हों और उस फाईल को शिक्षा-मंत्री अपने डेरे पर मंगा कर उसको काट देते हैं तो क्या हम उसके बारे में यहां नहीं कहेंगे?

अध्यक्ष—यह आप नहीं कह सकते हैं। आप नॉमिनेशन के प्रिन्सिपुल को मानते हैं या नहीं?

श्री कपिलदेव सिंह—मैं कहता हूं कि अगर नॉमिनेशन के अधिकार का दुरुपयोग करते हों तो उसके बारे में मैं यहां बोल सकता हूं। इसीलिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं...........।

श्री रामदेव सिंह—हुजूर, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। डी०पी०आई० गवर्नमेंट सरवेंट है और सरकार ने नॉमिनेशन का अधिकार दिया है तो उसके खिलाफ.....।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति आप जब समझ नहीं रहे हैं तो प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? नॉमिनेटेड बाई डी० पी० आई० और नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट क्या दोनों सिमिलर हैं? बहस का एक तरीका है और उसके मुताबिक बोलना चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट को नॉमिनेशन नहीं करने देना चाहिये और आप इस प्रिन्सिपुल के खिलाफ हैं तो इस पर बोलिये। नॉमिनेशन बाई स्टेट गवर्नमेंट एक अलग बात है और अगर दोनों को आप मिक्स-अप कर देंगे तो आपके आर्गुमेंट में गड़बड़ी हो जायगी।

श्री कपिलदेव सिंह—पहली बात तो यह है कि नामिनेशन की व्यवस्था ही ठीक नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी कमिटी नहीं रखी गयी है जो इस काम को करे। हम यह नहीं चाहते हैं कि मनोनयन का काम सरकार अपने हाथ में रखे। एक तो अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था का ही मैं विरोध करता हूं दूसरी बात और भी खराब यह हो जाती है कि सरकार इस काम को अपने हाथ में रखती है। इसका अर्थ यही

हुआ कि करैला तो खुद ही तीता है और उस पर भी वह चढ़ गया नीम पर। सरकार के हाथ में चले जाने पर क्या खराबी आ जाती है उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। शिक्षा विभाग ने दो सदस्यों का नाम नॉमिनेट किया। राजनीतिक कारणों से शिक्षा विभाग के एक सर्वोच्च अधिकारी ने दोनों नामों को हटाकर तीसरा नाम रखा। और इसके लिए एक फोन सदाकत आश्रम से शिक्षा मंत्री के पास आया।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आप यहां फोन की बात का जिक्र नहीं कर सकते हैं। आपको असेम्बली रूल्स का अनुसरण करना चाहिये। आपको बहुत ऐकूरेट होना चाहिये। आपका ख्याल काल्पनिक भी हो सकता है।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, अगर आरोप सही हो तो क्या उसका भी वे जिक्र यहां नहीं कर सकते हैं?

अध्यक्ष—अगर आप आरोप लगाते हैं तो उसका सबूत दें।

श्री कपिलदेव सिंह—हमारे नाम के साथ ऐसा किया गया है। फाइल से हमारा नाम काटकर दूसरे आदमी का नाम दे दिया गया।

अध्यक्ष—फाइल से आपका नाम काट दिया गया, यह खबर आपको कैसे है?

श्री कपिलदेव सिंह—अगर आप तारीख पूछें तो मैं तारीख भी बताने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष—आप यह कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। फाईल से नाम काट दिया गया, यह सब बात आप कैसे कह सकते हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, जिस स्कूल की मैं चर्चा कर रहा हूं उस स्कूल का नाम बड़हिया है। उस स्कूल से दो आदमियों का नाम मनोनीत करके डाइरेक्टर के पास गया।

कुमार गंगानन्द सिंह—मेरा कुछ एतराज है। आपके हुक्म के बावजूद भी माननीय सदस्य उसी बात को दुहरा रहे हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—मैं एकदम नहीं दुहरा रहा हूं। आपको इस बात की आशंका है कि आपकी बात को हम कह न दें।

अध्यक्ष—आपको इतना ही कहना चाहिए कि गवर्नमेंट का नोमीनेशन गलत हुआ है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—तब तो यह बिल्कुल भेग होगा।

श्री फजलुर रहमान—भेग एलीगेशन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। आप डेफीनीट कहें।

श्री कपिलदेव सिंह—तो मेरा कहना है कि इस तरह के मनोनयन का अधिकार जहां कहीं भी सरकार को मिला है, वहां पार्टीबाजी की जाती है। जो आदमी जनता के प्रतिनिधि हैं और इस सदन के भी प्रतिनिधि हैं उनके नाम को काटकर हारे हुए आदमी का नाम रखा जाता है।

श्री फजलुर रहमान—अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार पार्टीबाजी करती है। जब तक आप स्पेसिफिक प्रमाण नहीं देते हैं तब तक ऐसा आक्षेप सरकार पर नहीं कर सकते हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—सदस्यगण चाहते हैं हम प्रमाण दें, शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं कि हम प्रमाण दें मगर अध्यक्ष रोक देते हैं।

अध्यक्ष—आप सही बात नहीं कहेंगे तो हम जरूर रोक देंगे।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि कम-से-कम मनोनयन का अधिकार सरकार को न दिया जाय क्योंकि इस अधिकार का दुरुपयोग हमेशे सरकार करती है। ऐसे लोगों को सरकार बैठा देती है जिनको कोई सरोकार नहीं रहता है।

अब मैं आपका ध्यान श्री०ए०डी० गोरेवाला के एक पुस्तक के एक-दो वाक्यों पर ले जाना चाहता हूं।

"When the Chief men in a Government or party merely preach, the reply is generally a shrugging of shoulders. Only when they preach according to their practice, when their own bonafides are established by clear conduct, can they hope that their preaching will produce the desired results."

सरकार हमेशा कहती है कि हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से करेंगे मगर उनका आचरण उसके मुताबिक नहीं होता है। जो प्रचार करते हैं ठीक उसके विपरीत आचरण होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि संस्कृत विश्वविद्यालय कमिटी बनाने में भी मनोनयन की बात रखी गई है। प्रो-चान्सलर को आपने इतना ज्यादा अधिकार दिया है। उसके बाद जब कमिटी बनाने की बात आयी तो टीचिंग स्टाफ में जो लोग पांच वर्ष का टीचिंग एक्सपिरीयन्स रखने वाले हैं उनको भी चुनने का अधिकार नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि आप ही उनको मनोनीत करेंगे। संस्कृत विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए जो पुरानी संस्कृति है उसे बढ़ाना चाहिए था मगर ऐसा मालूम होता है कि जिस पवित्र उद्देश्य को सामने रखकर ज्यादा-से-ज्यादा रुपया हम राज्यकोष से खर्च करने के लिए तैयार हैं उसे आप घर का घरकोना बना रहे हैं। आप ऐसा तमाशा खड़ा करने जा रहे हैं कि दरअसल विद्या की प्रतिष्ठा नहीं होगी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी, और ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी जिसे शिक्षा मंत्री काबिल समझेंगे। हमारी हिन्दू संस्कृति में लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है और

लक्ष्मी के साथ कभी भी सरस्वती का सरोकार नहीं रहा। मगर आप लक्ष्मी और सरस्वती को इस तरह मिलाने जा रहे हैं कि सरस्वती वहां से भाग जायेगी। पुराने जमाने में जो आचार्य रहते थे उनको अभाव की जिन्दगी बितानी पड़ती थी, फिर भी वे अपनी प्रतिष्ठा रखते थे। पांडव और कौरव के गुरु द्रोण को कितनी प्रतिष्ठा थी मगर वे भी अपने पुत्र अश्वत्थामा को असली दूध के बदले आटा घोल कर पिलाते थे और कहते थे कि यही दूध है। इतने अभाव में रहते हुए भी उनकी प्रतिष्ठा होती थी। मगर शिक्षा मंत्री उस गुरु के खोज में नहीं हैं। जिसको १०-२० हजार एकड़ खेत हो, या १०-२० करोड़ रुपये बैंक में हो उनको वे शिक्षा के मामले में काबिल समझते हैं। ऐसे ही जमायत को लेकर वे संस्कृत विश्वविद्यालय का गठन करना चाहते हैं। जब इस कमिटी के गठन का सवाल आया तो हमलोग यह उम्मीद करते थे कि टीचिंग स्टाफ से कम-से-कम ऐसे आदमी आयेंगे जिनको पांच वर्षों का अनुभव रहेगा। लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने हाथ में अख्तियार ले लिया प्रतिनिधि चुनने का। सरकार का प्रतिनिधि चुनने का कैसा ढंग रहता है आप जानते हैं। इसलिए हम जैसी सामाजिक व्यवस्था इस प्रान्त में कायम करना चाहते हैं और शिक्षा का जैसा विकास चाहते हैं वह नहीं पूरा हो सकता है यदि कमिटी का गठन सरकार के मनोनयन द्वारा किया जाय। इसलिए मैं मनोनयन के सिद्धान्त का विरोध करता हूं और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि ज़्यादा-से-ज्यादा अधिकार कृपा कर अपने हाथ में न लें। अगर आप ज्यादा अधिकार अपने हाथ में लेते हैं तो नतीजा यह होता है कि सही बातों की जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मनोनयन का उसूल इस कमिटी में रखने के पहले आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लें।

अध्यक्ष महोदय, इसपर काफी ध्यान दिया जाय। सभी बातों के बारे में, जैसे, कमिटी का गठन कैसे हो, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा से क्या लाभ होगा, शिक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे सभी लोग जानते हैं।

अध्यक्ष—आप तो सरकार के फाईल की बात भी जानते हैं?

श्री कपिलदेव सिंह—फाईल की बात के बारे में अगर कहा जाय तो हो सकता है हुजूर, इसलिए कि हमारा नाम काटा गया है।

अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नौमिनेशन की बात नहीं रहे। टीचिंग स्टाफ के लोगों को कम-से-कम अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा हक सरकार दे, शिक्षा मंत्री सभी अधिकार अपने पास नहीं रखें और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

कुमार गंगानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मैं घोर विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि हम शिक्षण-संस्था को राजनैतिक अखाड़ा बनाना नहीं चाहते हैं, हम इसको शैक्षणिक रूप देना चाहते हैं। टीचिंग स्टाफ द्वारा एलेक्शन की बात जो कही जाती है उसके संबंध में और जगहों में जो हो रहा है उसके आधार पर हमारा अनुभव है कि शिक्षक-दल केवल दो भागों में ही विभक्त नहीं हो जाते हैं बल्कि विद्यार्थियों को भी दो दलों में बांट दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में काफी बाधा पहुंचती है। विद्यार्थियों द्वारा कैनवासिंग का काम कराया जाता है,

उनसे तरह-तरह का कार्म लिया जाता है। तो मैं अपने भाई लोगों को बतला देना चाहता हूं कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए हैं, इस तरह का काम लेने के लिए नहीं।

दूसरी बात यह है कि चुनाव के दलदल में ऐसा बखेड़ा है जिससे प्रतिष्ठित एवं योग्य व्यक्ति छूट जाते हैं और जुनियर व्यक्ति आ जाते हैं।

विरोधी दल के कई माननीय सदस्य बैठे-बैठे जोर से एक ही बार बोलने लगे।

अध्यक्ष—(खड़े होकर) शान्ति, शान्ति। इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अगर माननीय सदस्य इस तरह बैठे-बैठे बोलेंगे और दूसरी ओर के माननीय सदस्य जवाब देंगे तो किस तरह कार्यवाही चल सकती है। इसलिए मुझे लाचार होकर खड़े होकर बोलने की जरूरत पड़ी। बैठे-बैठे बोलने से हमारे रिपोर्टर्स भी नहीं लिख सकते हैं और जब विरोधी दल के माननीय सदस्य बोलते हैं तो दूसरे ओर के माननीय सदस्य भी जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे भी पीछे हटना नहीं चाहते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—नहीं अध्यक्ष महोदय, वे लोग मिनिस्टर हैं इसलिए वे नहीं बोलते हैं।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। जब आपलोग बोलें तो इधर के लोग चुप रहें और जब इधर के माननीय मंत्री जवाब दें तो आप लोग चुप रहें तभी सुन्दर ढंग से सदन की कार्यवाही चल सकती है।

कुमार गंगानद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चुनाव का नतीजा यह होता है कि अच्छे, योग्य एवं प्रतिष्ठित लोग नहीं आ पाते हैं, वे छूट जाते हैं।

श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है।

शिक्षा मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा है कि एलेक्शन से अच्छे लोग नहीं आते हैं तो हमलोग जो सदन में इतने सदस्य चुनकर आये हैं क्या वे अच्छे नहीं हैं ?

अध्यक्ष—यह प्वायट ऑफ ऑर्डर नहीं है, आप बैठ जांय।

कुमार गंगानन्द सिंह—जहां तक चुनाव का सवाल है, अगर माननीय मित्र जिन्हें इस पर आपत्ति है वे उसके बाद के क्लॉज को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इसमें चुनाव की भी गुंजाइश है लेकिन जहां तक स्टाफ के चुनाव की बात है उसमें हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कॉलेज का काम सीमित रूप से और नियमित रूप से चले। सीनेट का गठन किसी कमिटी का गठन नहीं है, इसमें हम चाहते हैं कि बड़े-बड़े विद्वानों का परामर्श लें। इसमें हम चाहते हैं कि जितने कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वे आकर इसमें राय दें। हो सकता है कि यदि चुनाव हो, चुनाव का सिलसिला जारी करें तो ऐसे लोग भी आ जायं जो काफी जुनियर हों, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जो विद्वान प्राध्यापक होंगे वे अपने चुनाव के लिए कहने नहीं जायेंगे इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कपिलदेव सिंह—शिक्षा मंत्री का जवाब मैंने शान्ति से सुना और जवाब सुनकर कम-से-कम एक बात की प्रसन्नता हुई कि चुनाव में अगर खामी नहीं रहती तो हमारे शिक्षा मंत्री कैसे आते? चुनाव में खामी थी तभी तो शिक्षा श्री का यहां दर्श हुआ, वे यहां आ गए और सारे राज्य के लोगों पर शासन कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा-प्रणाली कैसी हो। इस पर हमारे उप-राष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन् ने पंजाब में अपने दीक्षान्त-भाषण में कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा-प्रणाली होनी चाहिये, शिक्षा की पद्धति उसी के अनुरूप रखनी चाहिये। दिल्ली में फिर दीक्षान्त-समारोह के भाषण के सिलसिले में हमारे उप राष्ट्रपति ने कहा है कि :

"A nation is built in its Educational Institutions".

जहां इतने बड़े शिक्षा-संस्थापक कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षा-पद्धति को रखना जाहिये वहां इस राज्य के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि चुनाव जब करेंगे तो ऐसे लोग आ जायेंगे जो अच्छे नहीं होंगे।

अध्यक्ष—Class (III) items (2), (3), (4), या (5) किसी मे भी नौमिनेशन की बात नहीं है, नौमिनेशन केवल इसी में रखा गया है।

श्री कपिलदेव सिंह—यह इसीलिए किया गया है कि इन्हें स्टाफ से डर लगता है। जहां ये समझते हैं कि इनका काम आसानी से हो सकता है वहां तो कबूल कर लेते हैं और जहां समझते हैं कि दिक्कत होगी वहां नहीं कबूल करते हैं। कालेज से प्रोफेसर कालेज का रिप्रेजेन्टेटिव होकर सिनेट में आता है और उसे स्टाफ रिप्रेजेन्टेटिव कहा जाता है लेकिन ये चाहते हैं कि सिनेट का निर्माण हो लेकिन स्टाफ से वे लोग नहीं चुने जायं, उनलोगों का मनोनयन हो। स्टाफ के लोगों को चुनाव का हक नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने बतलाया कि जहां कहीं चुनाव होगा शिक्षकों का प्राध्यापकों का तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा लेकिन सही तौर से इसको देखें तो कह सकेंगे कि ऐसी बात नहीं है। सरकार का कहना है कि इसमें लड़के लोग भी बिगड़ेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि लड़कों को जितना शिक्षक नहीं बिगाड़ते हैं उतना हमारे मंत्री लोग और सरकार के लोग बिगाड़ते हैं। ये कहते हैं कि चुनाव में भाग लो। हमारे शिक्षा मंत्री किसी सभा में जायेंगे तो लड़कों को माला पहनाने के लिए जाना होगा चाहे इसके लिए स्कूल और कालेज बन्द क्यों न कर देना पड़े। आज शिक्षा की सारी जवाबदेही सरकार पर है, खास कर शिक्षा मंत्री पर है। जहां कहीं चुनाव होगा उसमें ये वहां के अध्यापक और लड़कों को बिगाड़ेंगे और चुनाव दलदल में पड़ जायगा। आज सारे देश में चुनाव होता है। आज दुनिया में हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहां ज्यादा लोग वोट में हिस्सा लेते हैं, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और लोग ५ वर्ष के लिए चुनकर इस चुनाव से आते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री को इसकी क्या फिक्र है, ये तो बिना जनता के चुने भी शासन में आ जाते हैं और इसीलिए इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं। दूसरे लोग जो इनके साथ हैं उनके लिए भी यही तरीका लागू करना चाहते हैं। जिस तरह देवताओं ने समुद्र मथन कर १४ रत्न निकाला था उसी तरह हमारे शिक्षा मंत्री भी इसका तरीका खोज रहे हैं और उन्होंने तरीका खोज निकाला है। सरकारी कमिटियों

में भी ये चाहते हैं कि इस तरह के रूल बैठा दें ताकि जैसे शिक्षा मंत्री चल रहे हैं उसी तरह सारा संगठन चले और नौमिनेशन का काम हो और इसीलिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है। मुझे उनके उत्तर से संतोष नहीं है और इसीलिए मैं अपना संशोधन इस सदन में पेश रखता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि इस सुझाव को मान लें। अगर सरकार इसे नहीं माने और इस पर नहीं विचार करे तो इसके लिए सदन उसे मजबूर करे कि वह इस नौमिनेशन को नहीं रखे।

SPEAKER : The question is :

That in clause 14 of the Bill in pragraph (1) under class III, *for* the words "nominated by the State Government from among the members" occurring in line 3, the words, "elected by the members" be *substituted.*

I ask the members to rise on their seats.

Shri RAMCHARITRA SINHA : Rather ask them to divide. I know the rules. There has not been any division to-day. I think the chair will not be fair in doing so. The House should be asked to divide for voting.

SPEAKER : Alright, I revise my decision. The House should vote by dividing itself.

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई :—

हां ८

श्री रूपलाल राय।
श्री गंगानाथ मिश्र।
श्री रामदेव सिंह।
श्री सभापति सिंह।
श्री देवीलाल जी।
श्री राम जयपाल सिंह यादव।
श्री रामानन्द सिंह।
श्री रामसेवक शरण।
श्री कर्पूरी ठाकुर।
श्री बाबूलाल टुडू।
श्री सुपाई मुर्मु।
श्री उमेश्वर प्रसाद।
श्री बाबू लाल मराण्डी।
श्री कामदेव प्रसाद सिंह।
श्री बैंजामिन हंसडा।
श्री चुनका हेम्ब्रोम।
श्री मणिराम सिंह।
श्री प्रभुनारायण राय।
श्री भोला मांझी।
श्री कपिलदेव सिंह।
श्री कार्यानन्द शर्मा।
श्री भगवान सिंह।
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा।
श्री रामानन्द तिवारी।
श्री दशरथ तिवारी।
श्री प्रिय व्रत नारायण सिंह।
श्री अम्बिका प्रसाद सिंह।
श्री देवनन्दन प्रसाद।
श्री श्याम चरण मुर्मु।
श्री सनातन समद।
श्री श्याम कुमार पसारी।
श्री हरि चरण सोय।
श्री जगन्नाथ महतो।
श्री बीर सिंह मुण्डा।
श्री सुशील कुमार बागे।
श्री कृपा उरांव।
श्री इगनेस कुजुर।
श्री जौन मुजनी।

ना—१०३

श्री केदार पाण्डेय।
श्री नरसिंह बैठा।
श्री शुभ नारायण प्रसाद।
श्री जय नारायण प्रसाद।
श्री जगन्नाथ प्रसाद 'स्वतंत्र'।
श्री राधा पाण्डे।
श्री बिगू राम।
श्री मसूदूर रहमान।
श्री विभीषण कुमार।
श्रीमती पार्वती देवी।
श्री ध्रुवनारायण मणी त्रिपाठी।
श्रीमती सुन्दरी देवी।
श्री जवार हुसेन।
श्री रामबसावन राम।
श्री गिरीश तिवारी।
श्री कृष्णकान्त सिंह।
श्री कमरुल हक।
श्रीमती राजकुमारी देवी।
श्री दीप नारायण सिंह।
श्री हरिवंश नारायण सिंह।
श्री मंजूर अहसन अजाजी।
श्री शिवनन्दन राम।
श्री नवल किशोर सिंह।
श्री चन्दू राम।
श्री कपिलदेव नारायण सिंह।
श्री राम गुलाम चौधरी।
श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह।
श्री जनक सिंह।
श्री रामनन्दन राय।
श्रीमती सुदामा चौधरी।
श्री शकूर अहमद।
श्री राधानन्दन झा।
श्री जय नारायण झा "विनीत"।
श्री महेश कान्त शर्मा।
श्री शेख सुइयूल हक्क।
श्री सहदेव महतो।
श्री महावीर राउत।
श्री खूब लाल महतो।
श्री उपेन्द्र नारायण सिंह।
श्री योगेश्वर हजरा।
श्री राम नारायण मंडल।
श्री शीतल प्रसाद गुप्त।
श्री डुमरलाल बैठा।
श्रीमती शान्ति देवी।
श्री अब्दुल हयात।
श्री कमलदेव नारायण सिंह।
श्री ब्रज बिहारी सिंह।
श्री सुखदेव नारायण सिंह।
श्री बाबूलाल मांझी।
श्री मोहिउद्दीन मुख्तार।
श्री जीतू किस्कू।
श्री सुखू मुर्मु।
श्री राम जनम महतो।
श्री भोला नाथ दास।
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल।
श्री शीतल प्रसाद भगत।
श्री मौलवी समीनुद्दीन।
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह।
श्री पीरू मांझी।
श्री भागवत मुर्मु।
श्री हरि प्रसाद शर्मा।
श्रीमती लीला देवी।
श्री योगेन्द्र महतो।
श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह।
श्री हरिहर महतो।
श्री जगदीश नारायण सिंह।

श्री राम यतन सिंह।
श्री एस० एम० अकील।
श्री बलदेव प्रसाद।
श्री देवगन प्रसाद सिंह।
श्री लाल सिंह त्यागी।
श्री राम खेलावन सिंह।
श्री राम शरण साव।
श्री झमन प्रसाद।
श्री रंगबहादुर प्रसाद।
श्री अम्बिका सिंह।
श्री राजाराम आर्य।
श्री शिव कुमार ठाकुर।
श्री दुलार चन्द राम।
श्री जगदीश प्रसाद।
श्रीमती मनोरमा पाण्डेय।
श्री कृष्ण राज सिंह।
श्री शिवपूजन राय।
श्री कामेश्वर शर्मा।
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा।
श्री सैयद मुहम्मद कादरी।
श्री देवधारी राम।
श्री श्रीधर नारायण।
श्री सैयद मोहम्मद लतीफुर रहमान।
श्री हरदेव सिंह।
श्री शिव रतन सिंह।
श्रीमती राजकुमारी देवी।
श्री मंजूर अहमद।
श्री रामलाल चमार।
श्री लक्ष्मी नारायण मांझी।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शर्मा।
श्री धनंजय महतो।
श्री भोलानाथ भगत।
श्री राम रतन राम।
श्री उमेश्वरी चरण।
श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास।
श्री यदुनन्दन तिवारी।
श्री रामदेनी चमार।
श्री राज किशोर सिंह।

पक्ष में—३८।

विपक्ष में—१०३।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १४ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १५, १६, १७, १८, और १९ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १५, १६, १७, १८ और १९ विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—खंड २०।

KUMAR GANGANAND SINGH : I beg to move :

That in item (g) of new clause 20, *for* the words "other than the Vice-Chancellor", the words "other than the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor" *be substituted.*

Sir, this is a consequential amendment.

SPEAKER : The question is :

That in item (g) of new clause 20, *for* the words "other than the Vice-Chancellor", the words "other than the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor" *be substituted.*

The motion was adopted.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड २० सभा द्वारा यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २० यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड २१ से खंड ३३ तक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २१ से ३३ तक विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—खंड ३४ में माननीय सदस्य श्री रामजनम महतो का एक संशोधन है, वे सदन में अनुपस्थित हैं और मैं इसे डिस-एलाउ करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ३४ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३४ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ३५ से खंड ४७ तक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३५ से ४७ तक विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—खंड १ में संशोधन है जो आउट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १ इस संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

प्रस्तावना संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

नाम संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम विधेयक का अंग बना।

कुमार गंगानन्द सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल, १९५८ इस सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल जो सदन के सामने है और जैसा कि सेलेक्ट कमिटी का संशोधन होकर आया है जो पहले इसका रूप था उसमें कुछ प्रगतिशीलता थी। सेलेक्ट कमिटी में आने के बाद इसका रूप बदल दिया गया है। संस्कृत देव भाषा है और इसका प्रसार होना ही चाहिये और बिहार में तो जरूर ही होना चाहिये किन्तु अभी उस हालत में यह देव भाषा नहीं थी कि इसके लिये एक अलग युनिवर्सिटी कर दी जाती।

बिहार राज्य में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिसके औ बहुत कम ऐसे स्कूल हैं। कम ही विद्यार्थी वहां से निकलते हैं जिसके लिए फिलहाल एक संस्कृत युनिवर्सिटी की स्थापना करना जरूरी है। अभी जो युनिवर्सिटी है और उसमें जिस तरह दूसरे-दूसरे विषयों की पढ़ाई होती है उसी तरह संस्कृत की भी पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती थी। दूसरी बात यह है कि इसका नामकरण जिस तरह किया गया है महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के नाम से..........

अध्यक्ष—मैं समझता था कि आप कोई नयी बात कहेंगे।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—मैं इस बिल का विरोध करता हूं। उसमें पुरानी बात भी तो आयेगी ही।

अध्यक्ष—किसी बात को दुहराना तो दोष है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—मैं नयी बात कहूंगा। तो इनके नाम को अमर करने के लिए यह विश्वविद्यालय खोला गया है। अगर महाराजाधिराज के नाम के बदले कवि विद्यापति के नाम पर युनिवर्सिटी होता तो मैं समझता कि इसका कोई उद्देश्य है लेकिन धनी-मानी होने के कारण दरभंगा महाराज का नाम इस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है तो यह नाजायज बात है। इसलिए मैं इसके नामकरण का विरोध करता हूं।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में जिस तरह अन्य विषयों की पढ़ाई चल रही है उसी तरह इसकी पढ़ाई चलानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है इसका मतलब यही है कि आप सर कामेश्वर सिंह के नाम को अमर बनाना चाहते हैं। अगर आप प्राकृत और पाली भाषा की युनिवर्सिटी अलग बनाते तो वह समझ में बात आती लेकिन संस्कृत की उन्नति इतनी नहीं हुई है जिसके लिए आपको विश्वविद्यालय अलग खोलने की जरूरत पड़ गई। साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि प्रो-चान्सलर का पद ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है कि अभी हो सकता है कि आपको जिसके पद के लिए अभी कुछ खर्च नहीं करना पड़े लेकिन आगे चलकर इस पद पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा जो अभी संस्कृत के लिए सर्वथा अनावश्यक है। अगर काम अधिक बढ़ जायगा तो बात दूसरी है। साथ ही आप ऐसे आदमी को प्रो-चान्सलर बना रहे हैं जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो किसी भाषा का विद्वान नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप प्रो-वाईस-चान्सलर के पद पर बैठा रहे हैं तो इससे मालूम होता है कि एक आदमी के नाम को अमर करने के लिए ही एक युनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।

अध्यक्ष—यह सब बातें तो कह चुके हैं।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—इसलिए हमारे ख्याल में महाराजा के बदले विद्यापति का नाम उपयुक्त होता।

अध्यक्ष—यह फैसला हो चुका है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—मैं इस बिल का इसलिए भी विरोध करता हूं कि प्रो-चान्सलर पद उनको जीवन भर के लिए मिले। परन्तु उनके नाम पर युनिवर्सिटी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि इसके बहुत से ऐसे मेम्बर हैं जो नौमिनेट किये गये हैं जो उचित नहीं है। इसका केन्द्र स्थान भी ऐसी जगह में रखा गया है जो बिहार के अन्य इलाकों के संस्कृत शिक्षा-प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसका केन्द्रस्थान दरभंगा नहीं करके पटना में रखा जाय।

श्री रामचरित्र सिंह—यह युनिवर्सिटी सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको विश्वविद्यालय खोलना ही है तो पटना में खोलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

कुमार गंगानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने कोई नयी बात नहीं कही है। उन्होंने उन्हीं बातों को दुहराया है जो बिल पर संशोधन उपस्थित करते समय सदस्यों ने कहा है। दरभंगा में इसका केन्द्र क्यों चुना गया इसके सम्बन्ध में पहले भी मैंने निवेदन किया है कि महाराजा ने दान देते हुए यह शर्त लगा दी थी कि अगर यह विश्वविद्यालय दरभंगा में खुलेगा तो मैं अपना भवन और लाइब्रेरी इस विश्वविद्यालय को दे दूंगा। इसके अतिरिक्त अगर उनकी शर्त नहीं भी रहती तो भी हम इस विश्वविद्यालय को दरभंगा

में ही स्थापित करते। उसका खास कारण है और वह यह है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर के जिले में जितने संस्कृत के विद्वान उपलब्ध हैं उतने किसी भी जिले में नहीं हैं। वहां ही अधिक से अधिक संस्कृत के विद्यार्थी और विद्वान हैं। इन्हीं सब बातों का विचार करके यह निश्चय किया गया कि दरभंगा में ही विश्वविद्यालय का केन्द्र-स्थान रखा जाय। मैं समझता हूं कि अब इसपर किसी को कोई विरोध नहीं होगा और इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर देंगे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दरभंगा संस्कृत युनिर्वसिटी बिल, १९५८ सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ (१९५९ को बि० सं० १४)

THE BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD (AMENDMENT) BILL, 1959. (L.A. BILL NO. 14 OF 1959.)

KUMAR GANGANAND SINHA : Sir I beg to move :

That the amendments made by the Bihar Legislative Council in the Bihar School Examination Board (Amendment) Bill, 1959 as passed by the Assembly, be taken into consideration.

SPEAKER : The question is :

That the amendments made by the Bihar Legislative Council in the Bihar School Examination Board (Amendment) Bill, 1959 as passed by the Assembly be taken into consideration.

The motion was adopted.

SPEAKER : The question is :

That in clause 4 of the Bill in clause (*b*) of Sub-section (1) of the proposed new section 4 *after* the word "Bihar", the word, "Ex-Officio", *be added.*

The motion was adopted.

SPEAKER : The question is :

That in clause 4 of the Bill in sub-section (4) of the proposed new section 4 *for* the words, "the ex-officio members", the words "the ex-officio member" *be substituted.*

The motion was adopted.

SPEAKER : The question is :

That in clause 4 of the Bill, *for* sub-section (1) of the proposed new section 4A, the following *be substituted,* namely :—

"(1) The State Government shall appoint the Chairman who shall be a whole-time officer of the Board."

The motion was adopted.